अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 40–47/2012 अपीलार्थी – श्रीमती मीना देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1673–1/प्रो0 दिनांक 09.10.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में मामला/आरोप यह है कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी परियोजना द्वारा दिनांक 16.11.2011 को घोघेपुर (ii) पंचायत के केन्द्र सं0– 41 का औचक निरीक्षण किया गया। जाँच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :– (1) आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाया गया। सेविका एवं सहायिका अनुपस्थित पाई गई। (2) केन्द्र पर चुल्हा था लेकिन जलाया भी नहीं जाता है, (3) सेविका के बारे में बताया गया कि पोलियो मोविलाईजर का कार्य कर रही है।, लेकिन पोलियो टीका जाँच करने पर टीम के साथ नहीं थी, (4) सेविका सहरसा में रहती है। यदा–कदा ही आती है, सी0डी0पी0ओ0 महिषी ने आँगनबाड़ी सेविका पर कार्रवाई करने हेतु	

अनुशंशा किया जाता है।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में केन्द्र सं0–41 की सेविका श्रीमती मीना देवी से कार्यालय ज्ञापांक 06–1 दिनांक 03.01.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया एवं सुनवाई की तिथि 23.01.2012 को अपना पक्ष रखने हेतु भी निर्देशित किया गया। इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग लिये, एवं अपना पक्ष रखा। अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि 16.11.2011 को अपीलार्थी (सेविका) मीना देवी पल्स पोलियो कार्यक्रम में मोविलाईजर के रूप कार्यरत थी, तथा केन्द्र के संचालन हेतु सहायिका को आवश्यक पंजी एवं पोषाहार देकर चली आई थी। चूँकि अपीलार्थी (सेविका) पोषकक्षेत्र में ही घर –घर घूम कर बच्चों को पोलियो का खुराक पिला रही थी, क्षेत्र का परिभ्रमण कर बच्चों को पोलियो का खुराक पिला कर टेली सीट पर हस्ताक्षर कर जब अपने केन्द्र पर आई तो पता चला कि सी0डी0पी0ओ0 केन्द्र पर आई थी, एवं निरीक्षण कर चली गई है। चूँकि सेविका (अपीलार्थी) पल्स पोलियो जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में चली गई थी, तथा सहायिका को केन्द्र चलाने की जिम्मेदारी देकर आई थी, जो सही समय पर केन्द्र का संचालन नहीं की अतः सेविका का इसमें कही भी दोष नहीं है, और न कर्त्तव्यहीनता ही है। बल्कि जानकारी होने पर उपस्थित लाभुक बच्चों को पोषाहार बनाकर खिलाई इस प्रकार अपीलार्थी (सेविका) बिल्कूल निर्दोष है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा सहायिका को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया किन्तु अपीलार्थी को कठोर दंड देते हुए पद से चयन मुक्त आदेश दे दिया गया। जो बिल्कुल ही Natural justice का उल्लंघन है इसे खंडित किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पूर्व केन्द्र स्थल को मकान मालिक द्वारा खाली करा देने पर सेविका द्वारा सी0डी0पी0ओ0 महिषी के अनुमति से दिनांक 16.11.2011 को ही अपना केन्द्र बदलकर नये केन्द्र भवन में शिफ्ट की थी, जहाँ कम समय मिलने के कारण पूर्ण रूपेण व्यवस्था नहीं हो सका था, जिसे वाद में पूर्ण कर लिया गया। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1673–1/प्रो0 दिनांक 09.10.2012 में सी0डी0पी0ओ0 महिषी सुनवाई में उपस्थित थी, जहाँ उन्होने भी कहा कि सेविका/सहायिका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन सही है बावजूद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने उनके समर्पित प्रतिवेदन को अमान्य ठहराते हुए चयन मुक्त आदेश पारित किए, जो

त्रुटिपूर्ण आदेश है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि दिनांक 16.11.2011 को सेविका पल्स पोलियों कार्यक्रम में कार्यरत थी कार्य से अनुपस्थित नहीं थी, महिषी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा भी ऐसा कोई शिकायत नहीं किया गया कि सेविका/(अपीलार्थी) पोलियो कार्य से अनुपस्थित थी। सेविका /(अपीलार्थी) पोलियों कार्य से उपस्थित थी, फिर भी सेविका/ (अपीलार्थी) को चयन मुक्त कर दिया गया, जबकि सहायिका को चेतावनी सहित छोड़ दिया गया, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्य को नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो खंडित करने योग्य है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी (सेविका) मीना देवी तो निरीक्षण तिथि दिनांक 16.11.2011 को पोलियों कार्यक्रम में मोबिलाईजर का काम कर रही थी, एवं पूरे केन्द्र (कार्यक्षेत्र) में घूम–घूम कर टेलीसीट पर हस्ताक्षर कराकर केन्द्र पर आयी भी थी। अतः सेविका को इतने कड़े दंड चयन मुक्त कर देना पूर्णतः न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अतः उसे खंडित किया जाता है। जहाँ तक अन्य आरोप कि केन्द्र पर चूल्हा था किन्तु जलाया नहीं जाता है, सेविका सहरसा से आती–जाती है, अन्य आरोप के संबंध में सेविका को एक महीना का आर्थिक दंड पूरक पोषाहार राशि कोषागार में विभागीय शीर्ष में जमा करने के उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका को अपने पद पर चयन को बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा